10

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक तीन/निग/सीहोर/भूरा/2017/2617 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.07.17 पारित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सीहोर प्रकरण कमांक 95/अपील/2016–17

.....

दिलीप सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह,
वयस्क कृषक व निवासी,
ग्राम रायपुर नयाखेड़ा तहसील सीहोर,
जिला–सीहोर
..... आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती परबीन बानो पत्नी एजाज हुसेन, वयस्क,
निवासी जी–1, कैलाश नगर, साईं बाबा रेसीडेंसी,
सी.टी.ओ. बैरागढ, भोपाल जिला–भोपाल
(म0प्र0)
..... अनावेदकगण

.....

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एम.पी.भटनागर, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/3/2018 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि गैर निगरानीकर्ता परवीन बानों द्वारा तहसीलदार तहसील सीहोर के समक्ष संहिता की धारा 250 के तहत् खसरा क. 120/1 रकबा 2.023 है0 भूमि का अनावेदक दिलीप सिंह से रकाबा 2.50 एकड़ भूमि का कब्जा दिलाये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें आवेदन पत्र के साथ तहसील न्यायालय के प्रकरण क. 01/अ–12/16–17 के सीमांकन आदेश प्रति, पंचनामा, फील्डबुक की छायाप्रति तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिलीप सिंह को

सूचना पत्र जारी किया गया, परंतु दिलीप सिंह सूचना उपरांत अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसील न्यायालय द्वारा परवीन बानों के कथन अंकित किये गये जिसमें उन्होंने भूमि खसरा क.मांक 120/1 के भाग 2.50 एकड़ भूमि का दिलीप सिंह से कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया गया। इस संबंध में राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी के कथन लिये गये। कथन में भूमि खसरा क. 120/1 रकबा 2.023 हैक्टेयर भूमि का दिनांक 05.11.2016 को सीमांकन किया गया जिसमें 2.50 एकड़ भूमि पर दिलीन सिंह का कब्जा पाया गया। सीमांकन के समय मौजूद सरहदी कास्तकारों के कथन लिये गये तथा पंचनामें पर हस्ताक्षर कराये गये। तहसील न्यायालय द्वारा उपरोक्त जांच उपरांत आदेश दिनांक 08.04.2017 के अनुसार सर्वे क. 120/1 रकबा 2.023 हैक्टेयर भूमि के भाग 2.50 एकड़ भूमि का नक्शा अनुसार दिलीप सिंह से श्रीमती परवीन बानों को कब्जा दिलाये जाने के आदेश दिये।

आवेदक दिलीप सिंह द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 08.04.17 से परिवेदित होकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण क. 95/अपील/16–17 प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 06.06.17 को प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आहूत किया गया। तथा रेस्पोंडेट को सूचना दी गई। अनुविभागीय द्वारा दिनांक 07.07.17 को उभय पक्षों की उपस्थिति में अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा इस न्यायलाय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई।

निगरानी मेमों में अंकित आधारों पर उभय पक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक परवीन बानों द्वारा तहसीलदार तहसील सीहोर के समक्ष खसरा क. 120/1 रकबा 2.023 है0 भूमि का अनावेदक दिलीप सिंह से रकाबा 2.50 एकड़ भूमि का कब्जा दिलाये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिलीप सिंह को सूचना पत्र जारी किया गया, परंतु दिलीप सिंह सूचना उपरांत अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसील न्यायालय द्वारा परवीन बानों के कथन अंकित किये गये तथा इस संबंध में राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी

के कथन लिये गये। कथन में भूमि खसरा क. 120 / 1 रकबा 2.023 हैक्टेयर भूमि का दिनांक 05.11.2016 को सीमांकन किया गया जिसमें 2.50 एकड़ भूमि पर दिलीप सिंह का कब्जा पाया गया। सीमांकन हेतु समस्त सरहदी कास्तकारों को विधिवत सूचना दी गई। सीमांकन के समय मौजूद सरहदी कास्तकारों के कथन लिये गये तथा पंचनामें पर हस्ताक्षर कराये गये। तहसील न्यायालय द्वारा उपरोक्त जांच उपरांत आदेश दिनांक 08.04.2017 के अनुसार सर्वे क. 120 / 1 रकबा 2.023 हैक्टेयर भूमि के भाग 2.50 एकड़ भूमि का नक्शा अनुसार दिलीप सिंह से श्रीमती परवीन बानों को कब्जा दिलाये जाने के आदेश दिये गये। आवेदक द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के समक्ष प्रकरण क. 95 / अपील / 16–17 प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख बुलाया गया। तथा उभय पक्षों की उपस्थिति में आदेश दिनांक 07.07.17 द्वारा प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता को तीन बार बहस हेतु समय दिया गया परंतु आवेदक अभिभाषक द्वारा बार--बार समय की मांग किये जाने के कारण अनावेदक अधिवक्ता के अंतिम तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ नियत किया गया तथा दिनांक 18.08.17 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 01 / अ–70 / 16–17 में पारित आदेश दिनांक 08.04.17 को यथावत रखा। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः तहसीलदार तहसील सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.17, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.17 एवं 18.08.17 उचित होने से यथावत रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की जाती है। उभय पक्ष सूचित हो। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख वापस किये जावे। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0अली),
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर